भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3524
(जिसका उत्तर सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया गया)

वन-पर्सन कंपनियां

3524. श्री डी॰ एम॰ कथीर आनन्दः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वन-पर्सन कंपनियों (ओपीसी) के गठन और कार्यान्वयन को भारतीय परिदृश्य में एक मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) ओपीसी के मामले में सीएसआर नीतियां तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है और उन सीएसआर को तैयार करने संबंधी समिति हेतु सदस्यता मानदंड क्या होंगे;
(ग) सरकार द्वारा वन-पर्सन कंपनी पद्धति के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) सरकार द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): भारत में व्यवसाय करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में अधिक प्रगतिशील और प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति की अनुमति देकर भारत की कंपनी विधि में विभिन्न उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(62) द्वारा भारत में एकल व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) की संकल्पना की प्रस्तावना की गई है जो एकल व्यष्टिक को सीमित देयता, शाश्वत उत्तराधिकार आदि का लाभ देते हुए कारपोरेट रूप में व्यवसाय करने के लिए सक्षम बनाती है। इस संकल्पना से लघु उद्यमियों को अपने व्यावसायिक कार्यकलापों को निगमित करने, बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के अवसर प्राप्त हुए हैं। यह लघु उद्यमियों को एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में लागू निर्दिष्ट उपबंधों के अध्यधीन असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर अग्रसर करते हुए सीमित देयता के रूप में विधिक संरक्षण प्रदान करके स्वनियोजन को प्रोत्साहित करती है।
ऐसी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निजी कंपनियां माना जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 के अनुसार कंपनी की सीएसआर समिति अपने बोर्ड को कंपनी की सीएसआर नीति तैयार करने और इस बारे में सिफारिशें करने के लिए उत्तरदायी है। सीएसआर के लिए पात्र प्रत्येक कंपनी में इसकी सीएसआर समिति में तीन अथवा अधिक निदेशक होंगे जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा और यदि कंपनी की सीएसआर समिति में दो अथवा अधिक निदेशक होंगे तो उसे स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। निजी कंपनी होने के कारण, यह उपबंध यथोचित परिवर्त्य, एकल व्यक्ति कंपनी पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया

कि सरकार अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की सतत् आधार पर समीक्षा करती है और समय समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए इसमें परिवर्तन करती है कि भारत एक आकर्षक और निवेशक हितैषी देश बना रहे। मंशा यह है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति अधिक निवेशक हितैषी बने और उन नीतिगत रुकावटों को दूर किया जाए जो देश में निवेश के प्रवाह में बाधा बन रही हैं। तथापि, एकल व्यक्ति कंपनी विधि के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में ऐसा कोई उपबंध मौजूद नहीं है।

****